प्रेस विज्ञप्ति -::- 30-08-2013

केन्द्रीय सूचना आयोग के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन 2 सितम्बर, 2013 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी डी.आर.डी.ओ. भवन, नई दिल्ली में करेंगें। श्री उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर अगले दिन समापन सत्र को सम्बोधित करेंगें। केन्द्रीय तथा राज्य सूचना आयुक्तगण और देश भर से एन.जी.ओ./सी.एस.ओ. के प्रतिनिधिगण, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य अनेक सहभागी एक विस्तृत विषय – **''सूचना के अधिकार के आठ वर्ष : एक सिंहावलोकन''** के अंतर्गत **''सूचना का अधिकार एवं सम्मिलित विकास'', ''सूचना का अधिकार एक भ्रष्टाचार निषेध उपकरण'' और ''संचार माध्यम एवं सूचना का अधिकार''** विषयों पर परिचर्चा करेंगें।

डा0 रामचन्द्र गुहा, प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और स्तम्भकार, **''भारत में प्रजातंत्र : मध्य–जीवन का संकट''** विषय पर मुख्य संबोधन प्रस्तुत करेंगें।

प्रो0 अभिजित सेन, सदस्य, योजना आयोग, प्रो0 एम0 एम0 अंसारी, सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रीमती सुषमा सिंह, सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, श्री सी0 डी0 आर्हा, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, आँध्र प्रदेश, और श्री हर्ष मंदेर, पूर्व सदस्य, एन.ए.सी. सूचना का अधिकार एवं सम्मिलित विकास सत्र के पैनल सदस्य हैं। श्री जे0 एम0 लिंगदोह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री प्रत्युष सिन्हा, पूर्व सतर्कता आयुक्त, श्री0 एम0 एल0 शर्मा, सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, श्री शैलेष गाँधी, पूर्व सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट, और श्री निखिल डे, सदस्य एम.के.एस.एस. सूचना का अधिकार एक भ्रष्टाचार निषेध उपकरण सत्र के पैनल सदस्य हैं। श्री सिद्धार्थ वरदराजन, संपादक प्रमुख, 'द हिन्दू', सुश्री सोनिया सिंह, संपादकीय निदेशक, एन.डी.टी.वी., श्री राजकुमार केसवानी, पूर्व संपादक, दैनिक भास्कर और श्री दीपक संधू, सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, संचार माध्यम एवं सूचना का अधिकार सत्र के पैनल सदस्य हैं।

पहली बार यह सम्मेलन सूचना का अधिकार और समाज के सम्मिलित विकास के बीच कार्यात्मक संबंध, यदि कोई है, पर परिचर्चा करेगा। इस स्वीकारोक्ति कि, सूचना के शासन–पद्धति तक प्रभावकारी पहुँच एक अधिक सहभागितापूर्ण विकास और अधिक प्रभावकारी शासन–प्रणाली को प्रोत्साहित करने में एक आवश्यक उपकरण हो सकता है, पर परिचर्चा की जाएगी। अन्य पैनल भ्रष्टाचार को नियंत्रित रखने में सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, विषय पर परिचर्चा करेगा। पैनलों के सदस्यगण सूचना के अधिकार के प्रयोग और भ्रष्टाचार के रोकने के संबंध में अपने अनुभवों का आदान–प्रदान करेंगें। संचार माध्यम और सूचना का अधिकार से संबंधित पैनल शासन प्रक्रमों में अधिनियम के प्रभावकारी क्रियान्वयन को उत्प्रेरित करने, नागरिकों को सूचना प्रदान करवाने और उनके बीच अधिनियम के प्रति जागरूकता निर्माण करने में संचार माध्यमों की भूमिका का परीक्षण करेगा जब वे जनभावना को आवाज प्रदान करने और जनता की तरफ से एक सजग प्रहरी का कार्य करते हैं।